न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 22/2022 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र श्री शेर सिंह यादव,नि. 34 अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302039 उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार,

GCMS No-2022/22

23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.2.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.2(218)सूकाअ/2021/2146–47 दिनांक 18.11.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 भू.अभि./स्थापना/राजस्व/पंजीयन अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि तहसीलदार खण्डार के कार्यालय पत्रांक भू.अ./586 दिनांक 12.10.2020 पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष दर्ज रैफरेन्स प्रकरण संख्या मय आज तक की कार्यवाही एवं सम्पूर्ण नोट शीट/आर्डर शीट मय आदेश की प्र0प्रति व मा0 राजस्व मण्डल अजमेंर को प्रेषित पत्र की प्र0प्रति मय तहसीलदार खण्डार के उक्त पत्र की प्र0प्रति। 2. यह है कि दिनांक 12.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग कैम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा मे अजीत शेखावत वगै. द्वारा ग्राम कटार व फरिया की जमीन लक्ष्मणशाह सोसायटी के नाम दर्ज करने व दौलतपुरा राजस्व ग्राम में ख0न0 1/2,281,186 वगै. की खातेदारी जो लक्ष्मणशाह सोसायटी के नाम दर्ज शुद्वा को नियमन करने बाबत प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र व शिकायत जो कैम्प प्रभारी उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार को प्रस्तुत की गयी की प्रमाणित प्रति मय कार्यवाही की प्र0प्रति। 3. यह है कि उक्त कैम्प दिनांक 12.11.2021 को उक्त ग्राम दौलतपुरा में अजीत, भोमराज, शेखावत नि0 दौलतपुरा द्वारा श्रीमति राजरानी यादव एवं श्री भूपेन्द्र यादव के विरूद्व कैम्प प्रभारी को प्रस्तुत परिवाद परिवादी का नाम व कार्यवाही विवरण एवं की गयी कार्यवाही की प्र0प्रति मय संलग्नक की प्र0प्रति। 4. यह है कि तहसीलदार खण्डार के कार्यालय पत्रांक एलआर/12/543 दिनांक 12.11.2012 मय संलग्नक जमाबन्दी मय मौका रिपोर्ट दिनांक 8.11.2012 की प्र0प्रति मय संलग्नक की प्र0प्रति। उक्त पत्र एसई पीडब्ल्यूडी सवाईमाधोपुर को प्रेषित शुद्वा है। 5. यह है कि तहसीलदार खण्डार का कार्यालय पत्रांक भू.अ./12/472 दिनांक 12.10.2012 मय संलग्नक मौका रिपोर्ट दिनांक 20.9.2012 की प्रमाणित प्रति मय जमाबन्दी ख0न0 544/1 व अन्य ग्राम दौलतपुरा 6. यह है कि उक्त वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार के उक्त ख0न0 544 के संबंध में तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2016 मय पत्र गिरदावर पाली मय तहसीलदार खण्डार का पत्रांक जो जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित शुद्वा उक्त रिपोर्ट दिनांक 16.11.2016 के क्रम में। 7. यह है कि उक्त ग्राम [illegible] 823/544 व उक्त मूल खसरा नम्बर 819,820, [illegible]/544, 853/[illegible] बाबत विक्रमी सम्वत [illegible]–2073 एवं 2074–77 एवं 2078 से 2081 की प्रमाणित प्रति पड़त सरकार व [illegible] पटवार की प्र0प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0/उपजिला कलेक्टर खण्डार /तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0/उपजिला कलेक्टर खण्डार/तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से क्रमशः प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक एफ.2(218)/सूकाअ/2021/2759 दिनांक 4.2.2022 एवं उपजिला कलेक्टर का जवाब क्रमांक सूकाअ/2020/240 दिनांक 15.2.2022 एवं तहसीलदार का जवाब क्रमांक/भू.अ./22/122 दिनांक 14.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 1 की एडीएम कोर्ट से संबंधित सूचना (कुल 10 पृष्ठो की) प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक 1342 दिनांक 1.2.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 4,5,6,7 की सूचना के लिए 1050/– रू शुल्क जमा करवाने हेतु तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक भू.अ./21/860 दिनांक 14.12.2021 द्वारा लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी। बिन्दु संख्या 2,3 की सूचना से संबंधित परिवाद शिविर रिकार्ड के अनुसार शिविर प्रभारी को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नही होने के कारण उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक/सूकाअ/ 2020/1709 दिनांक 14.12.2021 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 7 की आंशिक सूचना(ग्राम दौलतपुरा के ख0न0 544/1 नया नं0 823/544 व उक्त मूल खसरा नम्बर 819,820, 832/544, 853/544 बाबत विक्रमी सम्वत् 2070–2073 एवं 2074–77 एवं 2078 से 2081 की प्रमाणित प्रति पड़त सरकार) जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण प्रभारी अधिकारी भू. अभिलेख के पत्रांक 05 दिनांक 3.1.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.11.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना एडीएम कोर्ट द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2,3, की पूर्ण एवं बिन्दु संख्या 7 की आंशिक सूचना के संबंध में उपजिला कलेक्टर खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 4,5,6 की पूर्ण तथा बिन्दु संख्या 7 की आंशिक सूचना के लिए तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अभी तक शुल्क जमा नही करवाने के कारण उक्त बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है वांछित शुल्क जमा करवाकर बिन्दु संख्या 4,5,6,7 की सूचना तहसीलदार खण्डार के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर